



88

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

Zone : K-II
Swagata Encl.

नाम Name	DAVINDER SINGH
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Jnd. OFFICE OF THE DIR (PW.) MPR/TC, DDA N. DELHI-2 Dy.No. 3451 Dated. 23/5/12
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9810043163
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	Flat no - 26 - PK7 - 3 - Sec - 19 - DWARA NEW DELHI -
हस्ताक्षर : Signature :	
दिनांक : Date :	22-5-2012

पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

निदेशक(योजना) एमपीआर
छठी मंजिल,
विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली।

88

विषय :- दिल्ली मुख्या योजना-2021 की समीक्षा हेतु नए सुझाव

9. गाँव अर्बन या रूरल हो गाँव के चारों तरफ फिरनी रोड़ से कम 20.00 मीटर चौड़ी रोड़ बनाई जाय।
10. गाँव की लाल डोरा आबादी में 500 वर्ग गज या उससे अधिक साईज का प्लाट जो 20 मीटर या इससे अधिक चौड़ी रोड़ पर वर्तमान है तो प्लाट में मिक्सलैंड यूज / कॉर्मिशियल यूज / बैंकवट हॉल, गेस्ट हाउस, होटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नर्सिंग होम आदि का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
11. मास्टर प्लान 2021 के सभी नये एप्रोच रोड़ / अर्बन रोड़ 30 मीटर, 45 मीटर व 100 मीटर या इससे अधिक जल्दी से जल्दी पूर्ण किए जाने चाहिए।
12. रेजिडेन्सल प्लाट द्वारका में इमारत की ऊँचाई 25 मीटर होनी चाहिए व 8 मंजिल तक बनाने का प्रावधान होना चाहिए यदि प्लॉट का मालिक लिफ्ट का प्रावधान उपलब्ध कराने की व्यवस्था दे।
13. एफ.ए.आर. 500 होना चाहिए।
14. बिल्डिंग प्लान रेजिडेन्सल प्लाट का जो प्रयोग किया जाये (मिक्सलैंड यूज / कॉर्मिशियल लैंड यूज) उसे भी पास किया जाना चाहिए।
15. 30 मीटर रोड़ व उससे उपर की रोड़ पर प्लाट को कॉर्मिशियल यूज की परमीशन दी जाए।
16. द्वारका में बिल्डिंग बनाने के लिए पानी कहाँ से आए इसका प्रावधान भी होना चाहिए क्योंकि द्वारका में पानी के दोहन पर पूरी तरह पाबंदी है पानी की व्यवस्था साधारण तरीके से की जाए।


राकेश कुमार

देवेन्द्र सिंह

फ्लैट न. - 26,

पॉकेट - 3, सैक्टर - 19,

द्वारका नई दिल्ली।

मोबाईल - 09.810043 163

464